

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या-180/2026

GCMS No.- 2026/191

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री प्रेम पुत्र देवकिशन, मैसर्स भूरजी शाही नमकीन भण्डार गांधी चौक, नागौर तहसील व जिला नागौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी ~~सम~~ बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे है।

निर्णय


दिनांक :- 15.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना-पत्र गैर सायल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 व्यावसायिक गैस सलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक पर्याप्त तामिल होने के बावजूद उनकी ओर से आज कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा मैसर्स भूरजी शाही नमकीन भण्डार गांधी चौक नागौर पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री प्रेम पुत्र देवकिशन उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का मालिक होना




कलक्टर नागौर

जाहिर किया। मौके पर वक्त निरीक्षण उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईंधन के रूप में कार्य लिया जाकर चुल्हे पर विभिन्न खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी का निर्माण किया जाना पाया गया। तलाशी लेने पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखा पाया गया। व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का कनेक्शन रिफिल के दस्तावेज मांगे जाने पर जाँच दल को अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। मौके पर श्री देवकिशन ने बताया कि उसके पास व्यावसायिक गैस डायरी व गैस रिफिल की रसीद नहीं है। इससे जाहिर होता है कि उनके द्वारा घरेलू सिलेण्डर से व्यावसायिक सिलेण्डर में गैस भर कर काम में लिया जा रहा है। इस प्रकार उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक अप्रार्थी का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 व्यावसायिक गैस से भरा हुआ एवं 01 व्यावसायिक गैस का खाली सिलेण्डर, कुल 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	एस.आर. नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	भुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	1451	BPCL	22.1	19.1	3.0	..
2	1180	BPCL	19.8	19.8	0.0	..

उपर्युक्त जब्तशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री कमल पुत्र श्री गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।


इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र के संलग्न फर्द जब्ती पर गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर है जिससे यह साबित है कि गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेजों के इन गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय

अपराध है।




कलक्टर नागौर

अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त सुदा 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावे तथा इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)
कलेक्टर नागौर
जिला कलेक्टर,
नागौर